



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना किरतपुर

दिनांक – 18.04.2024

थाना किरतपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 128/24 धारा 363/366/376 भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 15.03.2024 को वादी द्वारा थाना किरतपुर पर तहरीर दी गयी कि वादी की पुत्री बिना बताये घर से चली गई है। तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 128/24 धारा 366 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में जिशान पुत्र ईदरीश निवासी ग्राम दारानगर गंज थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया तथा अभियोग में धारा 363/376 भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई। स्थानीय पुलिस द्वारा अभियोग से सम्बन्धित अपहृता को दिनांक 17.04.2024 को सकुशल बरामद किया गया।



कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना किरतपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 128/24 धारा 363/366/376 भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त जिशान पुत्र ईदरीश निवासी ग्राम दारानगर गंज थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

जिशान पुत्र ईदरीश निवासी ग्राम दारानगर गंज थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 जयप्रकाश थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
2. का0 1195 धीरेन्द्र यादव थाना किरतपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नगीना देहात

दिनांक- 18.04.2024

थाना नगीना देहात पुलिस ने अभियुक्त को 24 पच्चे फाईटर (गोल्ड मार्का) देशी शराब सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र जयपाल सिंह निवासी तीबडी थाना धामपुर जनपद बिजनौर को 24 पच्चे फाईटर गोल्ड मार्का देशी शराब सहित गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 94/24 धारा 60(1) आबकारी अधि0 बनाम अभियुक्त दीपक कुमार उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

दीपक कुमार पुत्र जयपाल सिंह निवासी तीबडी थाना धामपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण:-

24 पच्चे फाईटर (गोल्ड मार्का) देशी शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. आरक्षी 20 आशीष धामा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
2. आरक्षी 802 सोहनवीर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना अफजलगढ

दिनांक 18.04.2024

थाना अफजलगढ पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 121/24 धारा 380/454/411 भादवि में वांछित अभियुक्त को चोरी गये आभूषण व अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.04.2024 को वादिनी मुन्नी पत्नि अनीस अहमद नि0 ग्राम मेघपुर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ने थाना अफजलगढ पर तहरीर दी कि अभियुक्त सुल्तान उर्फ चेनी पुत्र अशरफ नि0 ग्राम नसीरपुर थाना नहतौर जनपद बिजनौर व 02 अज्ञात चोरो द्वारा वादिनी के घर के ताले तोडकर सोने व चांदी के आभूषण चोरी कर लिये गये। तहरीर के आधार पर थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 121/24 धारा 380/454 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्तगण 1.शालू उर्फ गोल्टा पुत्र तस्लीम 2.फईम उर्फ बिच्छू पुत्र शौकत अली नि0गण निवाडी सराय थाना नगीना जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आये।



कार्यवाही-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं चोरी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.04.2024 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 121/24 धारा 380/454 भादवि में वांछित अभियुक्त सुल्तान उर्फ चेनी पुत्र अशरफ नि0 ग्राम नसीरपुर थाना नहतौर जनपद बिजनौर को चोरी गये आभूषण (पीली धातु के एक हार, एक झूमकी व एक अंगूठी) सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त सुल्तान उपरोक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। माल बरामदगी व अवैध शस्त्र बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 411 भादवि व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.सुल्तान उर्फ चेनी पुत्र अशरफ नि0 ग्राम नसीरपुर थाना नहतौर जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी गये आभूषण (पीली धातु के एक हार, एक झूमकी व एक अंगूठी)
- एक अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सुल्तान उपरोक्त-

1. मु0अ0स0 01 / 19 धारा 379 / 411 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
2. मु0अ0स0 151 / 21 धारा 379 / 411 भादवि थाना नगीना जनपद बिजनौर।
3. मु0अ0स0 255 / 21 धारा 3(1) गैगस्टर एक्ट थाना नगीना जनपद बिजनौर।
4. मु0अ0स0 578 / 22 धारा 136 / 137 विद्युत अधि0 थाना नजीबाबाद बिजनौर।
5. मु0अ0स0 588 / 22 धारा 4 / 25 आर्मस एक्ट थाना नजीबाबाद बिजनौर।
6. मु0अ0स0 740 / 18 धारा 411 / 413 / 414 भादवि व 136 / 137 विद्युत अधि0 थाना नजीबाबाद बिजनौर।
7. मु0अ0स0 61 / 20 धारा 411 / 413 / 414 भादवि व 41 / 102 सीआरपीसी थाना नहतौर बिजनौर।
8. मु0अ0स0 140 / 21 धारा 380 / 411 / 413 भादवि थाना नहतौर जनपद बिजनौर।
9. मु0अ0स0 141 / 21 धारा 380 / 411 / 413 भादवि थाना नहतौर जनपद बिजनौर।
10. मु0अ0स0 195 / 21 धारा 3(1) गैगस्टर एक्ट थाना नहतौर जनपद बिजनौर।
11. मु0अ0स0 478 / 18 धारा 413 / 414 भादवि व 136 विद्युत अधि0 थाना नहतौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री सन्दीप कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
- 2- उ0नि0 यू0टी0 विकास कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
- 3- हे0का0 758 अमित कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
- 4- का0 293 राहुल कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
- 5- का0 540 आसिफ अली थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।